अनुदान संख्या 103 - जल संसाधन मंत्रालय
GRANT No. 103–MINISTRY OF WATER RESOURCES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	941,53,00	941,56,00	890,89,62	–50,66,38
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				63,25,79
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*4,00,00*	*3,28,24*	*–71,76*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*50,00*
स्वीकृत-	Voted–		84,01,00	75,06,60	–8,94,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,45,74

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (6325.79 लाख रु.) 5066.38 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.6325.79 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.5066.38 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2480.00	2843.38	3261.58	+418.20
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	361.38			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8900.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–8900.00			
मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	Major Head "2701" Major and Medium Irrigation				
मू.	O.	37939.00	35365.13	36895.90	+1530.77
पु.	R.	–2573.87			
मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई	Major Head "2702" Minor Irrigation				
मू.	O.	17704.00	18712.42	18950.90	+238.48
पु.	R.	1008.42			
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	Major Head "2711" Flood Control and Drainage				
मू.	O.	11975.00	15473.27	14537.46	–935.81
पु.	R.	3498.27			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	11200.00	11482.92	11473.77	–9.15
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	281.92			

(I) 11158.45 लाख रु. का प्रावधान (दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 10900.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय'' -

(i) ''नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य'' - 8000.00 लाख रु.;

(ii) ''बाढ का पूर्वानुमान'' - 300.00 लाख रु.;

(ख) ''सामान्य (मुख्य और मध्यम सिंचाई) - अन्य व्यय - जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण'' - 200.00 लाख रु.; और

(ग) ''भू-जल अन्वेषण - भू-जल प्रबंधन और विनियमन'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''गैर योजना अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना - सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना'' - 2200.00 लाख रु. पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान'' -

(I) Provision of Rs.11158.45 lakhs (including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010) remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.10900.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Flood Control - Other Expenditure" –

(i) "River Management Activities and Works related to Border Areas" – Rs.8000.00 lakhs;

(ii) "Flood Forecasting" – Rs.300.00 lakhs;

(b) "General (Major and Medium Irrigation) – Other Expenditure – Investigation of Water Resources Development Scheme" – Rs.200.00 lakhs; and

(c) "Ground Water Investigation – Ground Water Management and Regulation" – Rs.200.00 lakhs.

Provisions under above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3601" – "Non Plan Grants – Major Irrigation (Non-Commercial) - Sutlej Yamuna Link Canal Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project" – Rs.2200.00 lakhs - due to non-release of funds owing to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Presidential reference on Punjab Termination of Agreements Act, 2004.

(II) Under Major Head "2701" – "General" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research" –

(क) ''अनुसंधान और विकास कार्यक्रम'' - 1865.06 लाख रु. की बचत (5150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय जल आयोग द्वारा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन प्रस्तुत करने में विलंब होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Research and Development Programmes" – saving of Rs.1865.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5150.00 lakhs) was due to delay in process of procurement, in submission of performance evaluation studies by Central Water Commission and receipt of less proposals.

(ख) ''जल विज्ञान परियोजना'' - 1655.85 लाख रु. की बचत (3810.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और स्कीम का प्रतिपूर्ति आधारित होने के कारण हुई।

(b) "Hydrology Project" – saving of Rs.1655.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3810.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, scheme being on reimbursement basis.

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(B) "Other Expenditure"—

(क) ''अन्य स्कीमें'' - 118.75 लाख रु. की बचत (276.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कम बैठकें होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Other Schemes" – saving of Rs.118.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.276.75 lakhs) was due to less tours undertaken, holding of less meetings and economy measures.

(ख) ''जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'' - 1054.18 लाख रु. की बचत (5885.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Development of Water Resources Information System" – saving of Rs.1054.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5885.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(ग) ''जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण'' - 299.47 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के कार्मिकों के छठे केंद्रीय वेतन आयोग के बकायों की अदायगी के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त न होने और खराब मौसम, कठिन पर्वतीय क्षेत्र और कम कार्य का समय होने की वजह से कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(c) "Investigation of Water Resources Development Scheme" – saving of Rs.299.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-receipt of approval from Ministry of Finance for payment of 6th Central Pay Commission arrear to the officials of National Water Development Authority and non-completion of work owing to harsh weather, difficult mountainous terrain and less working season.

(घ) ''सूचना, शिक्षा और संचार'' - 114.70 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेघदूत पोस्टकार्ड के मुद्रण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त न होने और विज्ञापन और दृश्य प्रचार

(d) "Information, Education and Communication" – saving of Rs.114.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-approval

निदेशालय की देयताओं का निपटान न किए जाने और विश्व जल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम निधियों की आवश्यकयता होने के कारण हुई।

of the proposal to print Megh Doot Post Card, non-settlement of dues of Directorate of Advertising and Visual Publicity and requirement of less funds towards function organised on World Water Day.

(III) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - भू जल प्रबंधन और विनियमन'' के अंतर्गत 108.10 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तलभेदन पंक मशीन की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने, हैवी ड्यूटी रिग्स के खराब हो जाने और संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2702" – "Ground Water – Investigation – Ground water Management and Regulation" – saving of Rs.108.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of drilling mud machine, breakdown of heavy duty rigs and non-finalisation of modified assured career progression scheme.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ नियंत्रण - अन्य व्यय - बाढ़ का पूर्वानुमान'' के अंतर्गत 461.87 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेलीमेट्री प्रणाली की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने ओर कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure – Flood Forecasting" – saving of Rs.461.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement of telemetry system, non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 139.81 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 55 प्रतिशत और 66 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.139.81 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 55 percent and 66 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (2000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - बाढ़ नियंत्रण - अन्य अनुदानें - नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य'' के अंतर्गत मार्च, 2010 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1998.68 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.2000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2010 under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Flood Control – Other Grants – River Management Activities and Works related to Border Areas". Actual excess, however, was Rs.1998.68 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' -''सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय'' - 650.45 लाख रु. का अधिक व्यय (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Water Resources" – excess of Rs.650.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs);

(खा) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय जल आयोग'' - 256.84 लाख रु. का अधिक व्यय (2299.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''आंकड़ा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग'' - 1280.79 लाख रु. का अधिक व्यय (6921.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''अनुसंधान'' -

(i) ''राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान'' - 474.05 लाख रु. का अधिक व्यय (530.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) ''केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र'' - 1174.99 लाख रु. का अधिक व्यय (3150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) ''केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र'' - 263.49 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iv) ''केंद्रीय जल आयोग'' - 129.60 लाख रु. का अधिक व्यय (160.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) ''सर्वेक्षण और अन्वेषण - केंद्रीय जल आयोग'' - 192.47 लाख रु. का अधिक व्यय (759.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ङ) ''परामर्श सेवा - केंद्रीय जल आयोग'' - 444.56 लाख रु. का अधिक व्यय (2190.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - केंद्रीय भू जल बोर्ड'' - 1381.99 लाख रु. का अधिक व्यय (9499.00

(B) Major Head "2701" – "General" –

(a) "Direction and Administration – Central Water Commission" – excess of Rs.256.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2299.65 lakhs);

(b) "Data Collection – Central Water Commission" – excess of Rs.1280.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6921.70 lakhs);

(c) "Research" –

(i) "National Institute of Hydrology" –excess of Rs.474.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.530.00 lakhs);

(ii) "Central Water and Power Research Station" – excess of Rs.1174.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3150.00 lakhs);

(iii) "Central Soil and Materials Research Station" – excess of Rs.263.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(iv) "Central Water Commission" – excess of Rs.129.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.160.00 lakhs);

(d) "Survey and Investigation – Central Water Commission" – excess of Rs.192.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.759.95 lakhs);

(e) "Consultancy – Central Water Commission" – excess of Rs.444.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2190.00 lakhs); and

(C) Major Head "2702" – "Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board" –

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

excess of Rs.1381.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9499.00 lakhs).

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above ten heads was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(घा) मुख्य शीर्ष "2711" - "बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय" -

(D) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure" –

(क) "केंद्रीय जल आयोग" - 1035.44 लाख रु. का अधिक व्यय (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और प्रभारित पेट्रोल, तेल और स्नेहक मदों की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(a) "Central Water Commission" – excess of Rs.1035.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report and increase in cost of POL items charged to works.

(ख) "नदी प्रबंधन कार्यकलापों और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य" - 2016.24 लाख रु. का अधिक व्यय (3930.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(b) "River Management Activities and Works related to Border Areas" – excess of Rs.2016.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3930.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ङ) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सतही जल - अन्य अनुदान - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" - 474.09 लाख रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु सिंचाई गणना कार्य से संबंधित ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(E) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Surface Water - Other Grants - Development of Water Resources Information System" – excess of Rs.474.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of more proposals towards Minor Irrigation census work.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.42 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.55.42 lakhs occurred constituting 35 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत *71.76 लाख रु.* बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 72 प्रतिशत थी।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of *Rs.71.76 lakhs* occurred under one head constituting 72 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00			
मुख्य शीर्ष "4702" लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation				
मू.	O.	400.00	470.00	215.33	–254.67
पु.	R.	70.00			
मुख्य शीर्ष "4711" बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4711" Capital Outlay on Flood Control Projects				
मू.	O.	800.00	669.26	424.89	–244.37
पु.	R.	–130.74			

(I) 301.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 150.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "बाढ नियंत्रक के लिए पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.301.00 lakhs remained wholly untilised under four heads; of these Rs.150.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" – "Capital Outlay for Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "4702" - "भू जल - अवसंरचना विकास" के अंतर्गत 184.67 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थल की खराब स्थिति होने

(II) Under Major Head "4702" – "Ground Water – Infrastructure Development" – saving of Rs.184.67 lakhs (against the sanctioned provision

और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्य को शुरू किए जाने के लिए औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण हुई।

(III) ''मुख्य शीर्ष ''4711'' - ''बाढ नियंत्रण - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास'' के अंतर्गत 375.11 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण और केंद्रीय जल आयोग से ड्राइंग और डिजाइन की प्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

of Rs.400.00 lakhs) was due to bad condition of site and non-completion of formalities to undertake the entire work by Central Public Works Department.

(III) Under Major Head "4711" – "Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – saving of Rs.375.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to delay in land acquisition and receipt of drawing and design from Central Water Commission.